कार्यालय, लोकपाल (मनरेगा)
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

मनरेगा वाद संख्या–110/2015–16 शेख इस्लाम एवं अन्य बनाम पंचायत रोजगार सेवक, ग्राम पंचायत राज–तुरकौलिया पश्चिमी, मुखिया, पंचायत तकनीकी सहायक, कनीय अभियंता और कार्यक्रम पदाधिकारी, तुरकौलिया।

वाद का वर्णन

परिवादीगण श्री शेख इस्लाम, शहनाज खातुन, शाबिला खातुन, नाजया खातुन, मो0 अली शेख फुना, रामनरेश पासवान, नरेशा, उमेश चौधरी एवं गणेश चौधरी, फूलमति देवी, शाहजहाँ खातुन, शईदा खातुन, अम्बेया खातुन एवं सबिता देवी, ग्राम–कोरैया, ग्राम पंचायत राज–तुरकौलिया पश्चिमि, प्रखंड–तुरकौलिया द्वारा आवेदन दिया गया है कि मनरेगा में वित्तीय वर्ष 2011–12 विभिन्न योजनाओं में वनपोषक के रुप में मजदूर के रुप में कार्य किया है, जिसका मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ है, जिसें भुगतान करने का अनुरोध किया गया है।

कार्रवाई/सुनवाई

अतः उक्त आवेदन के आलोक में वाद दायर कर पंचायत रोजगार सेवक, ग्राम पंचायत राज–तुरकौलिया पश्चिमी, पंचायत तकनीकी सहायक, मुखिया, कनीय अभियंता एवं कार्यक्रम पदाधिकारी को नोटिस जारी किया गया। पंचायत रोजगार सेवक, तुरकौलिया पश्चिमी और कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा जवाब दिया गया है, जो निम्न प्रकार है।

क्र0	आवेदक का नाम	वर्ष 2012–13 में कार्य दिवस	वर्ष 2012–13 में बकाया राशि	वर्ष 2013–14 में कार्य दिवस	वर्ष 2013–14 में बकाया राशि	अभ्यक्ति
01	शेख इस्लाम	100	14400.00	80	11760.00	वर्ष 2012–13 एवं वर्ष 2013–14 का मजदूरी भुगतान लंबित है।
02	शहानाज खातुन	100	14000.00	51	7038.00	
03	सवीला खातुन	100	14400.00	–	–	
04	शहनाज खातुन	–	–	51	7038.00	
05	नाजया खातुन	100	14400.00	–	–	
06	मो0 अली	100	14400.00	61	9882.00	
07	शे0 फुना	–	–	61	9882.00	
08	रामनरेश पासवान	100	14400.00	–	–	
09	नरेशा	–	–	60	9720.00	
10	उमेश चौधरी	–	–	74	10932.00	
11	गणेश चौधरी	–	–	74	10932.00	
12	फुलमती देवी	100	14400.00	61	9882.00	
13	शाहजहाँ खातुन	100	14400.00	61	9882.00	
14	सइदा खातुन	100	14400.00	–	–	
15	शहनाज खातुन	–	–	51	7038.00	
16	अम्बेया खातुन	100	14400.00	–	–	
17	सबिता देवी	100	14400.00	70	1038.00	

विचारणीय बिन्दु

1. क्या परिवादीगण द्वारा मनरेगा में काम किया गया है?
2. क्या परिवादीगणों को मजदूरी का भुगतान किया गया है?

निष्कर्ष / निर्णय

पत्रावली और पंचायत रोजगार सेवक तुरकौलिया पश्चिमी, कार्यक्रम पदाधिकारी, तुरकौलिया द्वारा समर्पित विस्तृत प्रतिवेदन एवं प्रस्तुत अभिलेखों से ज्ञात होता है कि परिवादीगण द्वारा मनरेगा वृक्षारोपण विभिन्न योजनाओं में काम किया गया है, लेकिन मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है। महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की अनुसूची II में पारा 29 के अनुसार मजदूरी पर प्रतिदिन 0.05 प्रतिशत की दर से विलम्ब के लिए क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान किया जाय।

पंचाट / अधिनिर्णय

1. कार्यक्रम पदाधिकारी, तुरकौलिया को आदेश दिया जाता है कि परिवादी का बकाया मजदूरी भुगतान क्षतिपूर्ति राशि के साथ यथाशीध्र किया जाय।
2. क्षतिपूर्ति की राशि की वसूली, विलम्ब के लिए उत्तरदायी कर्मियों से किया जाय।

ह०

लोकपाल (मनरेगा)
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

ज्ञापांक– 48 / दिनांक– 28-8-18

प्रतिलिपि :– **सचिव**, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :– **जिला कार्यक्रम समन्वयक(मनरेगा)–सह–जिलाधिकारी**, पूर्वी चम्पारण,मोतिहारी को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :– **उप विकास आयुक्त**, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– **कार्यक्रम पदाधिकारी**, तुरकौलिया / पंचायत रोजगार सेवक, तुरकौलिया पश्चिमी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

28/8/18

लोकपाल (मनरेगा)
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी